Sanction Letter

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : 226/MP/15 जोन-4 दिनांक : 19/10/15

मानचित्र संख्या : 970/जोन-4/2012-13

मानचित्र स्वीकृति पत्र

सेवा में,

श्री आनन्द स्वरूप गर्ग व अन्य
निवासी–2सी–128, नेहरूनगर,
गाजियाबाद।

विषयः– मानचित्र संख्या– 970/जोन–4/2012–13 दिनांक 09.03.13 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.03.15 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है:–

1. यह मानचित्र स्वीकृति की तिथि से पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, जी0डी0ए0) अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। भूमि सम्बन्धी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर एवं भवन उपविधि के नियमों के अनुसार निर्माण कार्य किया जायेगा।
5. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
6. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों, विशिष्टियों, नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
7. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
8. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
9. सुपरविजन एवं स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
10. प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 06.03.2013 का पालन करना होगा।
11. भवन की कुल निर्माण लागत की 1 प्रतिशत धनराशि की अवशेष 80 प्रतिशत धनराशि लेबर सैस की मद में यू.पी.बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स. वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के खाता में सीधे जमा करानी होगी।
12. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को सुनिश्चित किये जाने हेतु जमानत राशि रू0 2,00,000/– की एफ.डी.आर. संख्या–टी.डी.आर./एम.टी.एल./ई– 6728188 दिनांक 12.10.15 बनाकर प्रस्तुत की गयी है, जो कि भवन सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के निर्माण एवं यथोचित संचालन की पुष्टि होने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
13. हिन्डन एयर फोर्स विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संख्या– 28डब्लू./एस 702/5/ए.टी.एस दिनांक 17.04.15 एवं विंग कमांडर, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली का अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या– AIR HQ/S 17726/4/ATS (Ty BM-MMCCXL) की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट ग 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटैक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाईन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उस स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :–

1. नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति
2. अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।
3. अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
4. अधिकृत आर्किटैक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्रांईंग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा सर्विसिज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
5. भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एन्ड पी. का विवरण।
6. साईट इंजीनियर इन्सपैक्शन रिर्पोट रजिस्टर।
7. सामग्री परीक्षण रिर्पोट एवं सम्बन्धित रजिस्टर।

26. अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या– भ0–17/डी0डी0/(फा0स0/मेरठ–15 (गा0बाद)/376 दिनांक 20.04.15 की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कराना होगा ।
27. निर्माण अवधि में स्थल पर कार्यरत श्रमिकों हेतु शौचालय आदि जनसुविधाओं का पर्यावरण के अनुकूल प्राविधान करना होगा।
28. मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित दिशा निर्देशों का निर्माण स्थल पर अनुपालन करना होगा।
29. समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अभिकल्पन व विकास का दायित्व विकासकर्ता का स्वयं का होगा। अवस्थापना सुवधिाओं का विकास/निर्माण कार्य पी.डब्लू.डी. यू.पी.पी.सी.एल, भवन उपविधि–2008, एन.बी.सी. एवं शासनादेशों में निर्धरित मापदण्डों के अनुसार स्थल पर कराया जायेगा। विकास/निर्माण कार्यों एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी विकासकर्ता की स्वयं की होगी।

उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

संलग्नकः एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य नगर नियोजक 10/2015
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांकः /एम0पी0/970/जोन–4/2012–13 दिनांकः

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन–4 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य नगर नियोजक